सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त निःशक्तजन

Court of Chief Commissioner for Persons with Disabilities

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

Ministry of Social Justice & Empowerment

निःशक्तता कार्य विभाग / Department of Disability Affairs

केस संख्या : 202/1021/11-12 **दिनांक : 17.04.2014**

के मामले मेः-

श्री शम्भू नाथ सिंह,
टेलर/एम.सी.एम., टि. सं. 212364/पी.पी.-4सी.
आयुध वस्त्र निर्माणी,
शाहजहांपुर - 242 002
(उत्तर प्रदेश) .... शिकायतकर्ता

बनाम

महाप्रबंधक,
आयुध वस्त्र निर्माणी,
शाहजहांपुर - 242002 (उ.प्र.) .... प्रतिवादी

सुनवाई की तारीखः-19.03.2014

उपस्थितः

1. श्री शम्भू नाथ सिंह, शिकायतकर्ता ।
2. सर्वश्री सौरभ सिंह, सहायक वर्क्स मैनेजर, प्रतिवादी की ओर से ।

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता, श्री शम्भू नाथ सिंह, 60% अस्थिबाधित व्यक्ति ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है, के तहत प्रोन्नति के संबंध में शिकायत दिनांक 19.08.2011 प्रस्तुत की है ।

2. शिकायतकर्ता का कहना था कि वे आयुध वस्त्र निर्माणी, शाहजहाँपुर में दिनांक 22.01.1980 में विकलांग कोटे के तहत टेलर सी. के पद पर नियुक्त हुए थे एवं तत्पश्चात् उन्हें दिनांक 01.12.1998 को सामान्य जोन के अंतर्गत टेलर/हाई स्किल्ड में प्रोन्नति के उपरान्त दिनांक 20.05.2002 को टेलर/एम.सी.एम. के पद पर भी सामान्य जोन के अंतर्गत प्रोन्नति दी गई । वर्ष 2002 से वे उक्त पद पर ही पदस्थ हैं एवं उनकी प्रोन्नति हेतु कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है । शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि उनकी प्रोन्नति आरक्षित श्रेणी में न कर सामान्य श्रेणी में की जाती है ।

.....2/-

3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/8/-स्था. (एससीटी) दिनांक 20.11.1989 तथा 36035/3/2004 (आरक्षण) दिनांक 29.12.2005 के अनुसार विकलांग व्यक्तियों को पदोन्नति में समूह ग तथा समूह घ पदों में आरक्षण देय है ।

4. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 47(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को, केवल उसकी निःशक्तता के आधार पर प्रोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगाः

परन्तु यह कि समुचित सरकार, किसी स्थापन में किए जा रहे कार्य के प्रकार को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जो ऐसी अधिसूचना में विहित की जाएं, किसी स्थापना को इस धारा के उपबंधों से छूट दे सकेगी ।

5. मामला अधिनियम की धारा 59 के अधीन महाप्रबंधक, आयुध वस्त्र निर्माणी, शाहजहांपुर के साथ इस न्यायालय के पत्र दिनांक 03.07.2012 द्वारा उठाया गया ।

6. कार्य प्रबंधक/प्रशासन, आयुध वस्त्र निर्माणी, शाहजहांपुर ने अपने पत्र दिनांक 24.08.2012 द्वारा सूचित किया कि शिकायतकर्ता की नियुक्ति इस निर्माणी मे दिनांक 16.10.1980 को टेलर/बी के पद पर हुई थी । सर्विस रिकार्ड में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि शिकायतकर्ता को आर्थोपेडिक विकलांग कोटे के अंतर्गत नियुक्त किया गया था । शिकायतकर्ता द्वारा आवेदन के दौरान न अपनी विकलांगता का उल्लेख किया और न ही उसके समर्थन में कोई प्रमाणपत्र जमा किया गया । इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता ने विभिन्न ग्रेड में पदोन्नतियों के समय कभी भी विकलांग कोटे के अंतर्गत पदोन्नति की न तो मांग की और न ही कोई प्रतिवेदन किया । शिकायतकर्ता को दिनांक 01.07.1998 को टेलर/एच.एस. एवं दिनांक 20.05.2003 को टेलर/एम.सी.एम.के पद पर पदोन्नति/प्लेसमेन्ट किया जा चुका है । विकलांगता की श्रेणी जिससे शिकायतकर्ता ग्रस्त है, टेलर पद हेतु चिन्हित श्रेणी में नहीं आती है । शिकायतकर्ता की नियुक्ति अनुसार टेलर पद पर नियुक्ति के लिए अर्हता निम्नलिखित हैः-

1) दोनों पैर (दोनों पैर ग्रसित परन्तु बाजु नहीं)
2) एक पैर (एक पैर ग्रसित (दायां या बायां)

अर्थात् एक या दैनों पैरों में खराबी,यानी हाथों से अक्षमता के साथ कर्मचारी टेलर पद में कार्य करने के लिए अर्ह नहीं है । सेवा में काफी समय व्यतीत करने के पश्चात् शिकायतकर्ता ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 26.07.2010 के अंतर्गत टेलर/अतिकुशल ग्रेड में पदोन्नति किए जाने का अनुरोध किया था । इन्होंने आवेदन के साथ मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा जारी विकलांगता प्रमाणपत्र दिनांक 28.02.2001 जिसके अंतर्गत दाहिने हाथ की कुहनी में 60 प्रतिशत की विकलांगता है, संलग्न किया था। शिकायतकर्ता उपरोक्त श्रेणी की विकलांगता से ग्रस्त नहीं है तथा वह suffering from shortening Right Upper limb since childhood से ग्रस्त होने के कारण उपरोक्त श्रेणी में

नहीं आता है । वैसे शिकायतकर्ता को सही प्रारूप में विकलांगता प्रमाणपत्र लाने का निर्देश दिया गया है, उसके सत्यापन के पश्चात् उचित कार्रवाई की जाएगी ।

7. प्रतिवादी प्राप्त पत्र दिनांक 24.08.2012 की प्रति शिकायतकर्ता को इस न्यायालय के पत्र दिनांक 28.02.2013 द्वारा उनके टिप्पण हेतु भेजी गई ।

8. शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 11.03.2013 द्वारा अपने टिप्पण भेजे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी नियुक्ति विकलांग कोटे के अंतर्गत नहीं हुई थी । वे जिला सेवायोजन कार्यालय, शाहजहांपुर में वर्ष 1979-80 में विकलांग कोटे के अंतर्गत नौकरी हेतु पंजीकृत थे । इसी संस्थान द्वारा अन्य कर्मचारियों के साथ-साथ उनको भी नौकरी हेतु पत्राचार के माध्यम से प्रतिवादी द्वारा बुलाकर वर्ष 1980 में टेलर/बी के पद पर नियुक्ति दी गई । फिर नियुक्ति हेतु उनको आवेदन/प्रार्थना पत्र देने का कोई सवाल ही नहीं उठता । प्रतिवादी का यह कहना कि नियुक्ति और प्रमोशन के संबंध में उन्होंने अपना विकलांगता प्रमाणपत्र जमा नहीं किया, सरासर गलत है । उनको विकलांगता के साथ लम्बी अवधि तक परिवहन भत्ता भी मिलता रहा लेकिन नया आदेश आने पर उनका उक्त भत्ता निरस्त कर दिया गया । प्रतिवादी का कहना है कि विभिन्न ग्रेडों में पदोन्नति के समय उन्होंने विकलांग कोटे के अंतर्गत कोई मांग नहीं की । इस संबंध में उनका कहना है कि विकलांग कोटे के साथ किसी प्रकार की कानूनी नियमों की जानकारी नहीं थी । उन्हें किन्हीं विश्वस्त सूत्रों द्वारा वर्ष 2010 में विकलांगों की भर्ती व पदोन्नति से संबंधित नियमों की जानकारी हुई । प्रतिवादी अनुसार टेलर का पद उनके लिए चिन्हित नहीं है तो उक्त पद पर उनको नियुक्ति कैसे दे दी गई, अन्य पद पर नियुक्ति क्यों नही दी गई । प्रतिवादी द्वारा मांगने पर नए प्रारूप में विकलांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने के बावजूद उनकी पदोन्नति हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई ।

9. प्रतिवादी के पत्र दिनांक 24.08.2012 तथा शिकायतकर्ता के टिप्पण दिनांक 11.03.2013 के अवलोकन के उपरान्त मामले की सुनवाई दिनांक 19.03.2014 को नियत की गई ।

10. सुनवाई के दौरान प्रतिवादी ने निवेदन किया कि नियुक्ति के समय शिकायतकर्ता के विकलांगता प्रमाणपत्र पर यह लिखा था कि वे विकलांग तो हैं परन्तु टेलरिंग कार्य के लिए उपयुक्त है, अतः यह पद एक बाजू के व्यक्ति के लिए चिन्हित न होने पर भी उन्हें नौकरी दी गई । चूंकि टेलर का पद एक हाथ से अस्थिबाधित व्यक्ति के लिए चिन्हित नहीं है, इसलिए इन्हें इस आधार पर आगामी पदोन्नति नहीं दी गई । सुनवाई के दौरान यह बात भी सामने आई कि यदि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 1989 के कार्यालय ज्ञापन के आधार पर पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान था तो विभाग को उन्हें विकलांगता श्रेणी में पदोन्नति दी जानी चाहिए थी भले ही शिकायतकर्ता ने स्वयं इसके लिए अपने विभाग से अनुरोध नहीं किया था ।

11. मामले में उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए प्रतिवादी को सलाह दी जाती है कि वे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/8/-स्था. (एससीटी) दिनांक 20.11.1989 के

अनुसार शिकायतकर्ता की वर्ष 1989 से पदोन्नतियों का पुनरीक्षण करके उन्हें सभी पारिणामिक फायदे, जिनका वह हकदार है, प्रदान करे ।

12. मामले का तदनुसार निपटारा किया जाता है ।

(पी. के. पिन्चा)
मुख्य आयुक्त (निःशक्तजन)